पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक 403/अका./२००४

रायपुर,दिनांक 13.2.2004
26-2-04

कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 13.2.2004 को 5.00 बजे कुलपति कक्ष में आहूत की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थिति थें-

प्रोफेसर बी.पी.चन्द्रा,कुलपति	अध्यक्ष
प्रोफेसर एम.एल.नायक	सदस्य
प्रोफेसर जी.एल.मूंदड़ा	सदस्य
प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा	सदस्य
श्री के.डी.पी.राव	सदस्य
डा ए.के.बंसल	सदस्य
डा ए.सी.जैन	सदस्य
डा जी.डी.साव	सदस्य.
श्री भागवत दाऊ चन्द्राकर	सदस्य
श्री ए.मिन्ज, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त-

क्रमांक 1 बी.ए.प्रथम वर्ष उत्तीर्ण छात्र सिंग कुसुम त्रिलोकी शासकीय पं.जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय, बेमेतरा के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय चूंकि आवेदिका बी.ए.प्रथम वर्ष की एक समूह के दो विषयों में सम्मिलित हुई थी अतः इसमें से एक विषय को निरस्त करते हुये उसके स्थान पर अन्य समूह के एक विषय की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई।

क्रमांक 2 विश्वविद्यालय के अधिकारियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2004 से स्वीकृत मंहगाई भत्ते को कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15 (4) के तहत स्वीकृति प्रदान कर गई है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

क्रमांक 3 श्री जी.एम.हसन,क्रीडा अधिकारी, शोध छात्र शारीरिक शिक्षा को शिक्षकों की भांति शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने हेतु 18 माह की निर्धारित अवधि सीमा का लाभ देने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री जी.एम.हसन, क्रीडा अधिकारी को इस प्रकरण में शिक्षकों की भांति लाभ दिया जाय।

क्रमांक-4 बी.आई.आई.टी. महाविद्यालय, पदमनाभपुर दुर्ग की समाप्त की गई संबद्धता को पुनः बहाल करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय बी.आई.आई.टी. महाविद्यालय, पदमनाभपुर दुर्ग को प्रथम वर्ष की अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई एवं द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की संबद्धता शासन से अनुमति प्राप्त होने पर ही दी जाय।

क्रमांक 5 सेमेस्टर, परीक्षा विभाग में इम्प्रेस्ट की राशि रु.3000/- कुलपति द्वारा स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 6 कु.सुलोचना पटेल एम.एस.सी. अंतिम उत्तीर्ण छात्रा की निरस्त उपाधि एवं परीक्षा परिणाम महा कुलाधिपति महोदय द्वारा अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम एवं उपाधि को प्रभावशाली करने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 7 डा (कु) गायत्री शर्मा, उपाचार्य, तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन अध्ययन शाला को परीक्षा विभाग का कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर नियुक्ति।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक 8 दिनांक 12.02.2004 को संपन्न विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक के कार्यवृत्त को अनु प्रदान करना।

निर्णय सर्वसम्मति से आंशिक संशोधन करते हुये पर्यावरण पाठ्यक्रम अनुमोदित की गई। पर्यावरण पाठ लिये भूतपूर्व/अमहाविद्यालयीन छात्रों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करते समय प्रत्येक छात्र को रुपये संबंधित केंद्र के कार्यालय में जमा करना होगा। रुपये 15/- का वितरण इस प्रकार होगा। रुपये प्रोजेक्ट निर्देशक को रुपये 5/- मूल्यांकनकर्त्ता को तथा अग्रेषण शुल्क रु.3/-प्राचार्य/वरिष्ठ केंद्रा तथा रु.2/- कार्यालय स्टाफ को। सर्वसम्मति से स्थाई समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमो किया गया।

विषय क्रमांक 9 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 12.2.2004 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से

विषय क्रमांक 10कर्मचारी संघों द्वारा दशम दीक्षांत समारोह के एवज में अधिकारियों/कर्मचारियों को एक वेतनवृ जाने की मांग पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को दिया जाय तथा उनसे आदेश प्राप्त किया जावे।

विषय क्रमांक 11 कैरियर एडवांसमेंट के संबंध में शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में दिये आवेदन पर विचार

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कैरियर एडवांसमेंट योजना अन्तर्गत पदोन्नति प्राप्त शिक्षक वेतन निर्धारण की विसंगति का निराकरण करने के लिये संयुक्त संचालक,वित्त को भेज दिया

विषय क्रमांक 12 गोपनीय कार्य हेतु वार्षिक परीक्षा 2003 के प्रिंटर/टेबुलेशन कार्य करने वाले फर्म को वार्षिक 2004 के लिये अनुबंधित करने के लिये विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व वर्षों की तरह ओसवाल डाटा प्रोससिंग इंदौर को परीक्षा का परीक्षाफल तैयार करने के लिये स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक 13 विधि छात्र के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष, विधि अध्ययन मंडल के प्रतिवेदन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई और संबंधित परीक्षक को तीन साल के लिये निष्कासित किया जाय।

विषय क्रमांक 14 विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी केंद्र प्रारंभ किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री सुमीत उपाध्याय, यूसीक विभाग को इस कार्य में संलग्न किया जाय और वे कुलसचिव के निर्देशन में इस कार्य को संपादित करेंगे।

विषय क्रमांक 15 वार्षिक परीक्षा 2004 के परीक्षा शुल्क जमा करने में विलंब को माफ करने के संबंध में निर्णय लेना।

निर्णय प्राचार्य शा.स्नातकोत्तर महा, कांकेर एवं शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि वर्ष 2004 के वार्षिक परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने में विलंब हुई है। इस वर्ष नई व्यवस्था के कारण फार्म जमा करने में कठिनाई हुई है । सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्षिक परीक्षा 2004 के ऐसे आवेदन पत्र जिन्हें छात्रों ने समय सीमा में महाविद्यालय में जमा कर दी है। परन्तु महाविद्यालय किसी कारणवश विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर पाये है उन आवेदन पत्र को जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई।।

कुलपति

कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 404/अका/2004

रायपुर, 13.2.2004
26/2/04

प्रतिलिपि-

01. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन, रायपुर ।
03. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन, रायपुर ।
04. डॉ० एम.एल. नायक, आचार्य, बायो-साईन्स अध्ययन शाला पं० र०शु०वि०वि० रायपुर ।
05. डॉ० ओ.पी. वर्मा आचार्य क्षेत्रीय अध्ययन शाला पं०र०शु०वि०वि. रायपुर ।
06. प्रोफेसर आर.सी.मेहरोत्रा, रायपुर
07. डॉ० एस सराफ, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
08. प्रोफेसर जी.एल.मूंदडा, आचार्य, रसायन अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
09. डा हेमलता महोबे, प्राचार्य, दिग्विजय महा.राजनांदगांव
10. अशोक कुमार बंसल, प्राचार्य, बी.पी.देव महा, कांकेर
11. डॉ० अमीरचंद जैन, शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव ।
12. श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग
13. पं.रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर ।
14. डॉ० (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर
15. डॉ० युगल भारती, प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर ।
16. श्री रामलाल भारद्वाज विधायक (पल्लारी क्षेत्र), बी-४,अयोध्या अपार्टमेंट रायपुर।
17. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक देशबन्धु रायपुर ।
18. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
19. वित्त अधिकारी/आवासीय अंकेक्षण पं.र.शु.वि.वि. रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कुलसचिव